न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
23 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	18.02.2016	22.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
..... प्रार्थी

बनाम

1—श्री रामकल्याण विजय पुत्र श्री नाथूलाल विजय विक्रेता मैसर्स विजय मिष्ठान भण्डार मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी रोडवेज बस स्टैण्ड के पास डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक
2—मैसर्स विजय मिष्ठान भण्डार मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक
3—श्री मदन लाल तिवाडी पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स तिवाडी टी एन्टरप्राईजेज (सीतारामपुरा वाले) नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी ख्वास जी की हवेली, बृजबाल निकेतन स्कूल के पास ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक
4—मैसर्स तिवाडी टी एन्टरप्राईजेज (सीतारामपुरा वाले) नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार उप.।
2—अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 22.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.11.2015 को समय 11:20 एएम पर मैसर्स विजय मिष्ठान भण्डार मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री रामकल्याण विजय पुत्र श्री नाथूलाल विजय मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रामकल्याण विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **सोन पपडी (वनस्पति से निर्मित) (Soan Papdi Vanas Pati Based Loose)** 5—5 किलोग्राम के 11 पेपर कार्टून रखे हुये थे जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री रामकल्याण विजय को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री रामकल्याण विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सोन पपडी (वनस्पति से निर्मित) (Soan Papdi Vanas Pati Based Loose)** को वास्त मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 2 किलोग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा2 किलोग्राम **सोन पपडी (वनस्पति से निर्मित) (Soan Papdi Vanas Pati Based Loose)** को 500–500 ग्राम के चार भाग तैयार कर चार साफ व सूखी पोलीथीन में भरकर चारों भागों को प्लास्टिक के डिब्बे में रखा एवं प्रत्येक डिब्बे को एयर टाइट बंद किया एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1211 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री रामकल्याण विजय तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1211 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

मौके पर श्री रामकल्याण विजय पुत्र श्री नाथूलाल विजय विक्रेता मैसर्स विजय मिष्ठान भण्डार मेन मार्केट डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक ने मैसर्स तिवाडी टी एन्टरप्राईजेज (सीतारामपुरा वाले) नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने मैसर्स तिवाडी टी एन्टरप्राईजेज (सीतारामपुरा वाले) नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक को फार्म नं. 5 व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया परन्तु उक्त फर्म के व्यवहारी ने कोई वारंटी बिल व प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/228 दिनांक 19.01.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस./935/एक्ट/2015/947 दिनांक 17.12.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **सोन पपडी (वनस्पति से निर्मित) (Soan Papdi Vanas Pati Based Loose)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 2(ii) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 30.06.2016 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से की ओर से श्री प्रमोद शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया एवं वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गया। और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी सं. 3 व 4 दिनांक 18.12.2020 को मात्र एक बार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए एवं उसके बाद लगातार अनुपस्थित रहे। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सोन पपडी (वनस्पति से निर्मित) (Soan Papdi Vanas Pati Based Loose)**का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सोन पपडी (वनस्पति से निर्मित) (Soan Papdi Vanas Pati Based Loose)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,50,000/–(अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 22.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(प्रशासन धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0